संख्या-18/2026/आई/1237719/2026/File No. 65-2099/190/2023

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-13 फरवरी, 2026

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-गोरखपुर में राजकीय संकेत मूकबधिर विद्यालय हुमांयुपुर के पुराने जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन विद्यालय भवन के निर्माण कार्य की लागत पुनरीक्षित किये जाने एवं तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4122/दि0ज0स0वि0/निर्माण/संकेत-गोरखपुर/2025-26 दिनांक 13 जनवरी, 2026 एवं पत्र संख्या-4314/दि0ज0स0वि0/निर्माण/संकेत-गोरखपुर/2025-26 दिनांक 29 जनवरी, 2026, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-गोरखपुर में राजकीय संकेत मूकबधिर विद्यालय हुमांयूपुर के पुराने जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात् नवीन विद्यालय भवन के **निर्माण कार्य** की लागत निविदा से प्राप्त मूल्य (टेण्डर कास्ट) के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने हेतु तथा उक्त **हेतु** तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 350.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-11/2024/I/502494/2024/File No.65-2099/190/2023 दिनांक 22 फरवरी, 2024 द्वारा जनपद-गोरखपुर में राजकीय संकेत मूकबधिर विद्यालय हुमांयूपुर के पुराने जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन विद्यालय भवन के **निर्माण कार्य** हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 **955.20** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में रू0 256.69 **लाख** की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-26/2025/आई/898182/2025/ File No.65-2099/190/2023 दिनांक 06.03.2025 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख अर्थात कुल रू0 556.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 के प्रस्तर-2 (2) (1) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जनपद-गोरखपुर में राजकीय संकेत मूकबधिर विद्यालय हुमांयुपुर के पुराने जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन विद्यालय भवन के **निर्माण कार्य** की निविदा से प्राप्त मूल्य के अनुसार (टेण्डर कास्ट) पुनरीक्षित लागत रू0 **955.05** लाख (रू0 नौ करोड़ पचपन लाख पॉच हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (iii) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(iv) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(v) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(vi) प्रायोजना का आगणन अधिशाषी अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, गोरखपुर द्वारा तैयार किया गया है, जो जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा परीक्षित है एवं निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संस्तुत है।

(vii) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(viii) प्रायोजना में वाहय विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तावित लागत रू0 26.60 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 20.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है, प्रभाग का मत है कि विस्तृत आगणन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा।

(ix) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(x) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(xi) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो भी ब्याज अर्जित किया जायेगा वह नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xii) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(xiii) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(xiv) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की होगी। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(xv) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(xvi) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(xvii) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(xviii) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xix) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृत आदेश में भी किया जायेगा।

(xx) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(xxi) जिस कार्य/मद में वित्तीय स्वीकृति की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा और इसका समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित राज्य सरकार का गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxii) स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा ।

(xxiii) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxiv) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xxv) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxvi) वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं इस शासनादेश में अंकित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxvii) जी0एस0टी0 की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxviii) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(xxix) शासनादेश संख्या-26/2025/आई/898182/2025/File No.65-2099/190/2023 दिनांक 06.03.2025 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-16-संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज, गोरखपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-**E-4-205-X-2025-26 दिनांक 10.02.2026** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या दिनांक व तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) जिलाधिकारी, **गोरखपुर** ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, **गोरखपुर** ।

(6) अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), गोरखपुर।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।

(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।